

‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय  
संवत् 2025’

प्रपत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प पहमत

—: आदेश :-

प्रार्थी के 'खाता बुरखरी' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पहमत  
व भूअनि. पहमत की रिपोर्ट तथा तहसीलदार — / नायब  
तहसीलदार बिजुस की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान यू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सौजियाला तहसील रेलमगरा व  
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 84 में  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सौजियाला	84	इन्दा जाति-बोला	इन्दा देवी जाति-रेगर

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी

रेलमगरा

दिनांक - 11/10/25

क्रमांक:- 350  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री इन्दा देवी रेगर को सूचनाएँ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा सहायक कलक्टर,